

28/04/25

न्यायधी पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विरुद्ध
कार्य में व्यवस्था है, जिसका प्रस्ताव होकर पत्रावली
आदेशिका नुसार अर्थात् दिनांक 28/04/25
को पेश हो।

दिनांक

30/04/25 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित।
वादी स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय समय में
वादी वकील को रोक-रुक कर तीन बार
भवाज लगाई गई, न तो वादी वकील उपस्थित
हुआ और न ही वादी स्वयं। अतः पत्रावली
अदम हजरी। अदम पत्रावली में खार्ज की
जाती है। पत्रावली बैकल भुमर होकर हाथिल
दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

